



कार्यालय अधिशाषी अभियंता जन स्वा अभि विभाग खण्ड बालोतरा



Jodhpur Road Balotra, E-Mail cebal.bmr.phed@rajasthan.gov.in & PH. 02988-294706

क्रमांक अअ/जनस्वा/बालो/2025-26/3277-90

दिनांक 16/02/2026

--:: नीलामी सूचना संशोधन ::--

इस कार्यालय की नीलामी निविदा सूचना इस कार्यालय के पत्रांक 3196 दिनांक 06.02.2026 को राशि रु. 70.44 लाख की जारी की गयी थी जिसके NIB No PHE2526A6242 एवं UBN No PHE2526GLOBI3392 जोकि दिनांक 11.03.2026 को खण्डीय भण्डार बालोतरा में आयोजित की जानी है में निम्न प्रकार से संशोधन किया जाता है :-

क्र.सं	पूर्व में जारी विवरण	संशोधन विवरण / शर्तें
1	<p>1. एम.एस. पाईप स्क्रैप 300 एमएम, 350 एमएम, 450 एमएम एवं 500 एमएम ।</p> <p>इच्छुक खरीददार उपरोक्त वर्णित सामान का निरीक्षण इस विभाग में दिनांक 11.03.2026 को कार्यालय समय में आकर कर सकते हैं। नीलामी बोली में सम्मिलित होने वाले व्यक्ति को राशि रु. 140880.00 अथवा 2 प्रतिशत धरोहर राशि डिमाण्ड ड्राफ्ट द्वारा जमा कराना होगा तथा नीलामी बोली अंतिम बोली छूटने पर बोली की राशि की चौथाई रकम जमा करानी होगी, अन्यथा उसकी धरोहर राशि जब्त कर ली जावेगी। उच्चतम बोली स्वीकृत होने के सात दिन के भीतर शेष राशि तथा नियमानुसार देय सेल्स टेक्स की राशि जमा कराने पर माल सुपर्द कर दिया जायेगा। अन्यथा उनकी चौथाई रकम जब्त कर ली जायेगी। राज्य सरकार उच्चतम बोली स्वीकृत करने हेतु प्रतिबंधित अथवा बाध्य नहीं है। उच्चतम बोली को बिना कारण बताये निरस्त किया जा सकता है। नीलामी की अन्य शर्तें नीलामी प्रारंभ होने से पूर्व बता दी जायेगी। नीलामी संबंधी पूर्ण अधिकार नीलामी कमेटी में निहित है तथा समिति का निर्णय सर्वमान्य व अंतिम होगा। निलाम किये जाने वाला अनुपयोगी /अप्रचलित घोषित भण्डार सामान जिस पर पुस्तक मूल्य लगभग 70.44 लाख ।</p> <p>नीलामी स्थल - जन स्वास्थ्य अभि विभाग खण्डीय स्टोर लूनी नदी किनारे जसोल रोड बालोतरा फोन नम्बर 02988-294706</p>	<p>नागाणा से पचपदरा रोड के सामानान्तर बिछी पुरानी / अनुपयोगी 300/ 350/ 450/ 500 एमएम व्यास की एमएस पाईप लाईन यथा स्थिति में पड़े/लगे की नीलामी की जावेगी।</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. नीलामी में सम्मिलित होने वाले व्यक्ति को नीलामी से पूर्व अमानत राशि रु. 140880.00 डिमाण्ड ड्राफ्ट / बैंकर चैक/ चालान अधिशाषी अभियंता जन स्वा. अभि. विभाग, खण्ड बालोतरा के नाम से दिनांक 11.03.2026 को सुबह 11 बजे तक जमा करवाने के उपरांत ही प्रतिस्पर्द्धा में शामिल किया जायेगा। 2. नीलामी की कार्यवाही दिनांक 11.03.2026 को दोपहर 12:00 बजे से सांय 5:00 बजे तक की जायेगी। 3. जिस बोलीदाता के नाम अन्तिम बोली समाप्त होगी उन्हे उसी समय राशि रु. 17.61 लाख (25 प्रतिशत, अमानत राशि के अतिरिक्त) जमा कराने होंगे तथा तथा शेष 75 प्रतिशत राशि बोलीदाता को डिमाण्ड ड्राफ्ट द्वारा 07 दिवस में जमा करवाना होगा, अन्यथा पूर्व में जमा राशि जब्त कर ली जावेगी। 4. पाईप निकालने एवं परिवहन के दौरान तृतीय पक्षकार (Third Party) को किसी भी प्रकार के क्षति के लिये सफल बोलीदाता फर्म जिम्मेदार रहेगी। 5. उच्चतम बोली बोलीदाता द्वारा नीलामी बोली से पश्चात नियमानुसार जीएसटी राशि चालान द्वारा जमा करवाकर चालान की प्रति इस कार्यालय में प्रस्तुत करनी होगी। 6. नीलामी किये जाने वाले एमएस पाईप लाईन पचपदरा-नागाणा सडक के सामानान्तर बिछी/ पडी हुई है तथा सभी सामग्री "जैसी है, जहां है, जो भी है" के आधार पर नीलामी की जायेगी। जिसका अवलोकन बोलीदाता द्वारा नीलामी बोली दिनांक से पूर्व किया जा सकता है। 7. यथा स्थिति में पड़े/ लगे पुरानी एमएस पाईपो को निकालने के लिए रोड कटिंग की आवश्यकता होने पर रोड कटिंग का व्यय फर्म द्वारा किया जाएगा। 8. बोलीदाता को भूमि के भीतर बिछी एमएस पाईपो को

D:\Month Febuary 2026\Auction Survey Sanshodhan.doc




- अपनी लागत व जाखम पर बाहर निकाल कर उचित माध्यम से स्वयं की लागत पर वैध रजिस्टर्ड वाहन के माध्यम से परिवहन कर ले जाना होगा।
9. पाईप लाईन काटने/ निकालने के लिए आवश्यक औजार/ मशीनरी / सामग्री की व्यवस्था फर्म को करनी होगी।
 10. बोलीदाता को एमएस पाईप लाईन निकालते समय पचपदरा से नागाणा रोड़ के सामानान्तर बिछी विभागीय पाईप लाईन / केबल/ अन्य किसी पाईप लाईन/ सम्पत्ति को बिना क्षतिग्रस्त किये कार्य पूर्ण करना होगा।
 11. यदि बोलीदाता द्वारा एमएस पाईप लाईन निकालते समय सामानान्तर बिछी किसी भी पाईप लाईन/ केबल /सम्पत्ति को क्षतिग्रस्त किया जाता है तो अपने खर्च पर पुनः दुरुस्त करने के जवाबदारी बोलीदाता स्वयं की होगी।
 12. परिवहन हेतु काम में लिये जाने वाले वाहनो के वैध रजिस्ट्रेशन एवं वैध बीमा की जिम्मेदारी बोलीदाता की होगी।
 13. उपरोक्तानुसार बोली में उचित राशि प्राप्त नहीं होने पर नीलामी कमेटी को बोली रद्द करने का पूर्ण अधिकार होगा तथा अन्य किसी भी अपरिहार्य कारणो से नीलामी को रद्द करने का पूर्ण अधिकार होगा।
 14. उपरोक्त सामग्री का अवलोकन इच्छुक बोलीदाताओं को दिनांक 10.03.2026 को दोपहर 03 बजे विभागीय प्रतिनिधि द्वारा करवाया जायेगा।

नीलामी स्थल -

जन स्वास्थ्य अभि विभाग खण्डीय स्टोर
लूनी नदी किनारे जसोल रोड़

15. बालोतरा फोन नम्बर 02988-294706


(छित्राराम)
अधिशाषी अभियंता
जन स्वा अभि विभाग
खण्ड बालोतरा